

ई-मेल

अति-आवश्यक

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26-अरेरा हिल्स किसान भवन भोपाल

क्रमांक/मंडी/प्रांगण/तौलकांटा/268/ २२२५
प्रति

भोपाल दिनांक ३१/०८/२३

- 1- संयुक्त संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय-समस्त.
- 2- कार्यपालन यंत्री,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग- समस्त
- 3- भारसाधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति- समस्त

विषय- मध्यप्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में मांग के सापेक्ष अतिरिक्त धर्मकांटों (इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज) की स्वीकृति पर विचार।

संदर्भ- म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मंडल की 141 वीं बैठक दिनांक 20/06/23

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मंडल की 141 वीं बैठक दिनांक 20/06/23 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कृषकों एवं कृषक संघों के माँग अनुसार बड़ी मंडियों में 10 मे.टन के इलेक्ट्रानिक तौल कांटे(वे-ब्रिज) स्थापित किये जाने हेतु परीक्षण कर प्रस्ताव प्रेषित किये जावें।

यदि किसी मण्डी प्रांगण में 02 से अधिक तौल काँटे स्थापित किये जाने हैं तो 01 अतिरिक्त 10 मे.टन के इलेक्ट्रानिक तौल काँटे(वे-ब्रिज) की अनुमति दी जा सकेगी। तदनुसार प्रस्ताव प्रेषित करने के पूर्व प्रकरण में गहन परीक्षण उपरांत संलग्न चेकलिस्ट सहित प्रेषित करें।

६.

(गौतम सिंह)

अपर संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

11211

क्रमांक/मंडी/प्रांगण/तौलकांटा/268/ २२२६

भोपाल दिनांक ३१/०८/२३

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विषयन बोर्ड, भोपाल।
- 2- अधीक्षण यंत्री म.प्र. राज्य कृषि विषयन बोर्ड, भोपाल।

अपर संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विषयन बोर्ड
भोपाल

कृषि उपज मण्डी समितियों में स्थापित तौल-कांटा तथा

स्थापित किये जाने के हेतु चेकलिस्ट

1-	कृषि उपज मण्डी समिति का नाम-			
2-	मण्डी समिति का संवर्ग-			
3-	मण्डी समिति का कुल क्षेत्रफल/ स्वीकृत मास्टर प्लान स्वीकृत ले-आट			
4	<p>पूर्व से मण्डी प्रांगण में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज :-</p> <p style="text-align: center;">M.O.T. द्वारा स्थापित-</p> <p>B.O.T. द्वारा स्थापित-</p>	संख्या	क्षमता	लागत
		1)-		
		2)-		
		3)-		
5-	<p>मण्डी प्रांगण में स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव/माग-</p> <p style="text-align: center;">M.O.T. द्वारा स्थापित-</p>	संख्या	क्षमता	लागत
		1)-		
		2)-		
		3)-		
6-	<p>उक्त मण्डी प्रांगण की -</p> <p style="text-align: center;">आवक- आय-</p>	दैनिक	मासिक	वार्षिक
7-	मण्डी प्रांगण में पूर्व से स्थापित इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज में पर व्यापारिक तौल व किसानी तौल हेतु निर्धारित दरे.			
8-	मण्डी प्रांगण में पूर्व से स्थापित इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज में डिजीटल लोडसेल लगाये गये हैं व वेट इंडीगेटर मशीन लगाये गये हैं? स्थिति स्पष्ट करते हुए अभिलेख संलग्न करें।			
9-	मण्डी प्रांगण में पूर्व से स्थापित इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज का नापतौल विभाग से कितने लीस्टकाउंट पर केलीबेटेड है। स्पष्ट करते हुए प्रमाण पत्र संलग्न करें।			

10-	मंडी बोर्ड का परिपत्र क्रमांक/बी-6/ नियामन/2020-21/408-409 दिनांक 26/06/2020 के पालन की स्थिति-	
11-	इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज स्थापित किये जाने हेतु अनुमोदित ले-आउट में भूमि चयनित है अथवा नहीं? अभिलेख संलग्न करे।	
12-	प्रतिदिन मंडी प्रांगण में भरे 200 ट्रक/ट्राली कितने दिन की आवक की स्थिति-	
13-	माह में 20 दिवस के आधार पर मंडी प्रांगण में कितने माह भरे 100 ट्रक/ट्राली प्रतिदिन की आवक की स्थिति-	
14-	वर्ष में 200 दिवस में प्रतिदिन औसतन 50 ट्राली/ट्रक की आवक-जाव को स्थिति सहित प्रतिदिन औसत आवक-	
15-	मंडी समिति का प्रस्ताव/ठहराव की सत्यापित प्रति संलग्न करे.	
16-	कृषकों कृषि उपज तौल कराये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज की मांग संलग्न करे।	
17-	व्यापारियों द्वारा जिन्सों की इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज पर तौल कराये जाने हेतु की लिखित सहमति संलग्न करे.	

उपर्युक्ती

कृषि उपज मण्डी समिति.....

जिला.....

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति.....

जिला.....